बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2017 10 पटना, दिनांक- 11-07-17

प्रेषक,.

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक ।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः- मुख्यशीर्ष- 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से सांख्यिकी दिवस के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹3,22,000/-(तीन लाख बाईस हजार रुपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

3. आबंटित राशि मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-13-01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगा। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022050101 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1345 दिनांक 03.07.2017 के आलोक में सांख्यिकी दिवस के आयोजन हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 विकलनीय है।

विश्वासभाजन

10/7/17 — बजट सहायक | 7/7/17 — प्रशाखा पदा0 | 10/7/17 — सहायक निदेशक | 10/7/17 — निदेशक

ज्ञापांक- 10 दिनांक- 11-07-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/17
निदेशक

ज्ञापांक- 10 दिनांक- 11-07-17

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं
2. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/17
निदेशक

ज्ञापांक- 10 दिनांक- 11-07-17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को निदेशालय के साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10/7/17
निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशालय (मुख्यालय)	87000	-	-	-	87000
उप निदेशक (सांख्यिकी)						0
2		5000	-	-	-	5000
3		5000	-	-	-	5000
4		5000	-	-	-	5000
5		5000	-	-	-	5000
6		5000	-	-	-	5000
7		5000	-	-	-	5000
8		5000	-	-	-	5000
9		5000	-	-	-	5000
10		5000	-	-	-	5000
जिला सांख्यिकी कार्यालय						
11	पटना	5000	-	-	-	5000
12	नालन्दा	5000	-	-	-	5000
13	भोजपुर	5000	-	-	-	5000
14	बक्सर	5000	-	-	-	5000
15	रोहतास	5000	-	-	-	5000
16	कैमूर(भभुआ)	5000	-	-	-	5000
17	गया	5000	-	-	-	5000
18	जहानाबाद	5000	-	-	-	5000
19	अरबल	5000	-	-	-	5000
20	नवादा	5000	-	-	-	5000
21	औरंगाबाद	5000	-	-	-	5000
22	मुंगेर	5000	-	-	-	5000
23	बेगूसराय	5000	-	-	-	5000
24	खगड़िया	5000	-	-	-	5000
25	लखीसराय	5000	-	-	-	5000
26	शेखपुरा	5000	-	-	-	5000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
27	जमुई	5000	-	-	-	5000
28	भागलपुर	5000	-	-	-	5000
29	बांका	5000	-	-	-	5000
30	पूर्णियाँ	5000	-	-	-	5000
31	अररिया	5000	-	-	-	5000
32	किशनगंज	5000	-	-	-	5000
33	कटिहार	5000	-	-	-	5000
34	सहरसा	5000	-	-	-	5000
35	सुपौल	5000	-	-	-	5000
36	मधेपुरा	5000	-	-	-	5000
37	दरभंगा	5000	-	-	-	5000
38	मधुबनी	5000	-	-	-	5000
39	समस्तीपुर	5000	-	-	-	5000
40	मुजफ्फरपुर	5000	-	-	-	5000
41	सीतामढ़ी	5000	-	-	-	5000
42	शिवहर	5000	-	-	-	5000
43	पूर्वी० चम्पारण	5000	-	-	-	5000
44	प० चम्पारण	5000	-	-	-	5000
45	वैशाली	5000	-	-	-	5000
46	सारण	5000	-	-	-	5000
47	सिवान	5000	-	-	-	5000
48	गोपालगंज	5000	-	-	-	5000
	कुल योगः-	322000	-	-	-	322000

(तीन लाख बाईस हजार रुपये) मात्र।

बजट सहायक   प्रशाखा पदा०   सहा० निदेशक   निदेशक

अर्थ एवं सां० निदेशालय